सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 04, शुक्रवार, *शाके 1946*- जनवरी 24, 2025 *Magha 04, Friday, Saka 1946- January 24, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2025

जी.एस.आर.101 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम,1977 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष **अनुभाग (क) पशुपालन अनुभाग** के अधीन,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 को 1क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 1क और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

1	मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 03 वर्ष का अनुभव	-

"

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 1क के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी"

(iv) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 1क के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" पशुधन प्रसार अधिकारी"

(v) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" पशुधन प्रसार अधिकारी"

(vi) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" पशुधन निरीक्षक", और

(vii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" पशुधन निरीक्षक"

[सं.एफ.2(7)डीओपी/ए-2/88]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, January 24, 2025

G.S.R.101 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977, under heading Section (A) Animal Husbandry Section,-

(i) the existing serial number 1 shall be renumbered as serial number 1A;

(ii) before the serial number 1A, so renumbered and entries thereto, the following new serial number 1 and entries thereto shall be added, namely,-

‘‘

1.	Chief Livestock Extension Officer	100% by promotion	-	Senior Livestock Extension Officer	03 Years’ experience on the post mentioned in Column 5.	-

’’

(iii) in column number 2 against serial number 1A, so renumbered, the existing entries shall be substituted by the following, namely:-

‘‘Senior Livestock Extension Officer’’;

(iv) in column number 5 against serial number 1A, so renumbered, the existing entries shall be substituted by the following, namely:-
"Livestock Extension Officer";

(v) in column number 2 against serial number 2, the existing entries shall be substituted by the following, namely:-
''Livestock Extension Officer'';

(vi) in column number 5 against serial number 2, the existing entries shall be substituted by the following, namely:-
"Livestock Inspector"; and

(vii) in column number 2 against serial number 3, the existing entries shall be substituted by the following, namely:-
''Livestock Inspector''

No. F.2(7)DOP/A-II/88
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.